

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या-15/परिवाद (मधेपुरा) 12-274/2025-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

परिवादी श्री नवीन कुमार यादव एवं अन्य से प्राप्त परिवाद के आलोक में अनुश्रवण कोषांग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन दाखिल-खारिज अपील वाद सं0-2846/2024-25 एवं 2847/2024-25 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पारित आदेश का अनुपालन सुश्री वंदना कुमारी, अंचल अधिकारी, घैलाढ़, मधेपुरा द्वारा नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-1026(15) दिनांक-24.06.2025 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-620 दिनांक-11.07.2025 से स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त सुश्री कुमारी के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र में अंकित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1759(15), दिनांक-22.09.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा दिनांक-06.10.2025 से बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त पुनः विभागीय पत्रांक-433(15) दिनांक-30.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-376 दिनांक-10.06.2026 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी के बचाव का लिखित अभिकथन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए "भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी" देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सुश्री वंदना कुमारी, अंचल अधिकारी, घैलाढ़, मधेपुरा को "भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी" देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(डॉ० महेन्द्र पाल)

अपर सचिव।

ज्ञापांक:-15/परिवाद (मधेपुरा) 12-274/2025-.....1170.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-31-07-2026

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मधेपुरा/ सुश्री वंदना कुमारी, अंचल अधिकारी, घैलाढ़, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र पाल)

अपर सचिव।

ई-मेल
निबधित